Commission's recommendations as applicable to Central Government/other Union Territories to the Chandigarh Administration employees. Since the pay scales of Chandigarh Administration employees were substantially at variance with the pay structure including nomenclature of posts of other Union Territories/Central Government, it was not possible to achieve complete uniformity in the revised pay scales.

A few representations have been received in this regard. On the direction of the Government of India, the Chandigarh Administration has already constituted an Anomalies Committee to consider the representations for removal of the anomalies.

Export of flowers, fruits, vegetables and processed food

2494. SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether Punjab Government has submitted a proposal to the Central Government regarding the export of flowers, fruits, vegetables and processed food;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) what action has been taken thereon?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. R. DAS MUNSHI): (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise

Insertion of soiled currency notes into packets

2495. SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government/R.B.I. have issued instructions to the various banks not to insert soiled currency notes in the bundles of 100 used currency notes of various denominations stappled/sewn by them;

(b) whether Government are aware that different banks refuse to accept such bundles containing defective notes prepared and sealed by other banks; and

(c) what are the reasons for the banks not accepting soiled notes from the public?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI EDUARDO FALEIRO): (a) to (c) The information is being collected and to the extent available will be laid on the Table of the House.

विभिन्न राज्यों में दहेज के कारण हुई मौतें

2496. **श्री शरद यादव :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1984 से लेकर अब तक दहेज प्रथा के कारण देश में प्रति वर्ष राज्य-वार कितनी महिलाओं को जलाया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि दहेज से संबंधित विधान बनाये जाने के बावजूद दहेज के कारण होने वाली मौतों की संख्या में वृद्धि हुई है ; और

(ग) सरकार दहेज के कारण होने वाली घटनाओं को रोकने के लिये क्या कदम उठा रही है ?

कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख) वर्ष 1984 से 1988 तक की अवधि के दौरान सूचित किए गए "दहेज मृत्यु" के मामलों की राज्य-वार संख्या विवरण (i और ii) में दी गयी है।

(ग) कानून को अधिक सख्त बनाने के लिए दहेज निषेध अधिनियम, 1961 को 1984 और 1986 में संशोधित किया गया। भारतीय दण्ड संहिता, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 को भी संशोधित किया गया ताकि न केवल दहेज मृत्यु के मामलों के साथ प्रभावकारी ढंग से निपटा जा सके अपितु विवाहित महिलाओं के प्रति निर्दयता के मामलों से भी प्रभावकारी ढंग से निपटा जा सके।

विवरण I

1984 से 1987 के दौरान भारत में जलकर या आत्महत्या करके दहेज मौतों सहित, दहेज मृत्यु के रूप में सूचित किए गये मामलों की संख्या का विवरण

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	वर्ष				टिप्पणी
		1984	1985	1986	1987	
	राज्यों					
1.	आन्ध्र प्रदेश	6	13	79	98	
2.	असम	5	1	9	3	
3.	बिहार	8	16	62	120	
4.	गुजरात	8	10	9	23	
5.	हरियाणा	54	99	47	7	फरवरी, 87 तक
6.	हिमाचल प्रदेश	5	3	3	4	
7.	जम्मू और काश्मीर	शून्य	शून्य	शून्य	10	
8.	कर्नाटक	32	35	54	83	
9.	केरल	1	5	4	2	
10.	मध्य प्रदेश	101	153	200	85	(मई, 87 तक 6 जिलों को छोड़कर)
11.	महाराष्ट्र	124	136	107	250	
12.	मणिपुर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
13.	मेघालय	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
14.	नागालैण्ड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
15.	उड़ीसा	4	शून्य	शून्य	2	
16.	पंजाब	34	32	40	70	
17.	राजस्थान	30	29	84	113	
18.	सिक्किम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
19.	तमिलनाडु	11	12	38	49	
20.	त्रिपुरा	शून्य	शून्य	शून्य	3	
21.	उत्तर प्रदेश	182	323	461	553	
22.	पश्चिम बंगाल	24	88	58	97	

टिप्पणी :

(1) आंकड़े मासिक अपराध आंकड़ों पर आधारित है और अस्थाई समझा जाए।

(2) — का अर्थ उपलब्ध नहीं ।

(3) गोवा को मई, 1987 में राज्य का दर्जा दिया गया ।

विवरण–II

वर्ष 1988 (जून, 1988 तक) भारत में जलकर, हत्या करके, या आत्महत्या करके दहेज मृत्यु सहित, दहेज मृत्यु रूप में सूचित किए गये मामलों की संख्या का विवरण।

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	(जून, 1988 तक)	टिप्पणी
	राज्यों :		
1.	आन्ध्र प्रदेश	उ० न०	—
2.	अरुणाचल प्रदेश	शून्य	मई, 1988 तक
3.	असम	शून्य	अप्रैल, 1988 तक
4.	बिहार	उ० न०	
5.	गोवा	शून्य	जून, 1988 तक
6.	गुजरात	16	मई, 1988 तक
7.	हरियाणा	उ० न०	
8.	हिमाचल प्रदेश	3	जून, 1988 तक
9.	जम्मू और काश्मीर	शून्य	अप्रैल, 1988 तक
10	कर्नाटक	8	मई, 1988 तक
11.	केरल	4	मई, 1988 तक
12.	मध्य प्रदेश	उ० न०	
13.	महाराष्ट्र	119	मई, 1988 तक
14.	मणिपुर	शून्य	अप्रैल, 1988 तक
15	मेघालय	शून्य	अप्रैल, 1988 तक
16	मिजोरम	शून्य	जून, 1988 तक
17.	नागालैण्ड	शून्य	मई, 1988 तक
18.	उड़ीसा	3	मई, 1988 तक
19.	पंजाब	11	मई, 1988 तक
20.	राजस्थान	41	मई, 1988 तक
21.	सिक्किम	शून्य	जून, 1988 तक
22.	तमिलनाडु	18	अप्रैल, 1988 तक
23.	त्रिपुरा	2	जून, 1988 तक
24.	उत्तर प्रदेश	291	मई, 1988 तक
25.	पश्चिम बंगाल	32	मई, 1988 तक (कलकत्ता को छोड़कर)

टिप्पणी :

1. आंकड़े मासिक अपराध आंकड़ों पर आधारित हैं और अस्थाई समझे जाएं।
2. उ० न० का अर्थ उपलब्ध नहीं है।